


OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Pragya Tiwari Joining Letter

	Section 2
कार्यालय सचिव जन	ाभागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महाविद्यालय व	अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
क्रमाक 1 ४ 0 3 / 2 0 2 /	· अनुपूपर, दिनांक9.2./11/2/
प्रति, जा प्रजा तिवारी	2
पिता/पति भूगी राष्ट्री न अगा ि	ोवारी
पात, नाम प्रभा तिवारी पिता/पित भूगे राष्ट्री ग्रह्म अगा ति पता मार्गियोः मुझ्ताझा जिला- व	इस्नी (भप्रः)
विषय:-अतिथि विद्वानी की सन्न 2021-22 के लिए आमं	त्रण।
संदर्म:—1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल क दिनांक 30.06.2021	ा पत्र क्र.936/398/आउशि/शा-2/21 भोपाल
2.पत्र क्र.483 / 166 / आईटी / आउशि / 2021, भे	पाल दिनांक11.11.2021
विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के पा	रेपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय रिलाही
अमंत्रित किया जाता है।	लिए विषय निर्मर राजिमार्ह्य में व्याख्यान हेतु
यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:— 1. यह आमंत्रण सत्र 2021—22 में 12 माह अथवा	निगमित प्राप्तायक / सदा प्राप्तायक / गंश्रपाल /
क्रीड़ाधिकारी की पदस्थापना / नियुक्ति होने तक के लिए	होगा 🗠 🗀
 आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (का निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः 	र्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम ०५ घंटे तथा प्रति सप्ता	
जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यका न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिव क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्य	ल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह वार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय
• वृद्धिकीजा सकती है। <u> </u>	
 अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश होगा। 	दिनोक 17.12.2019 की केंडिकी 5.1 के अनुसार
5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमं	त्रण निरस्त कर दिया जावेगा।
 यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के र सकेगा। 	
 आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत 	न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भ दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार	पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी।
9 यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्व	ान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित
होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यार्ध	of the second and a gracult
	- INCIRAL
	जनमा क्रिक्ति प्राप्त है अनुपपुर
100/	अनूपपुर, दिनांक 23/11/2/
पृ.क.//206 / प्रतिलिपि-	
1=क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा सभाग री	वा म.प्र.।
2. कार्यालयीन प्रति।	a oul -
- DADA1	Orac Control of the C
Govt. Tulsi College Anuppur	प्राकृष्क्षे)८भिन्ने जनभाः समितित् साः चुलस्भिन्नेत्र्भिन्ने पुरुष
Govt. Tulsi College Distt. Anuppur (M.P.)	जनभा सुमिति बाह्य कुर्लिश किया अनूपपुर Distr. Anuppur (M.P.)